**अधिनिर्णय को अपास्त करने के लिए मध्यस्थ और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अधीन याचिका**

उच्च न्यायलय .................................

वाद सं. ............................... सन् ...................................

माध्यस्थम अधिनियम, 1996 के मामले में

तथा

माध्यस्थम करार, दिनांकित ..........................................

के बीच

**अबक**  ........ वादी

(नाम, वर्णन, तथा निवास स्थान)

बनाम

**कखग**  ......... प्रत्यर्थी

(नाम, वर्णन, तथा निवास स्थान)

**ऊपर नामित किया गया याची क ख अतिसादर पूर्वक प्रदर्शित करता है –**

1. यह कि एक करार दिनांकित .............................................. याचियों तथा प्रत्यर्थियों के बीच किया गया जिसे (तथ्यों का कथन करते हैं।
2. यह कि देखें; कथित करार याचियों तथा प्रत्यर्थियों के बीच हुआ करार यह करार हुआ कि पक्षकारों के बीच में उद्भूत होने वाले विवाद के मामले में उसको अधिनियम के निर्देशित किया जायेगा।
3. यह कि प्रतिवादियों ने माध्यस्थम खण्ड का आलम्ब लिया और उनके मध्यस्थ के रूप में **रतन शर्मा** को नियुक्त किया तथा माध्यस्थम कार्यवाहियों में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिवक्ताओं की हैसियत से राकेश सिन्हा को भी नियक्त किया। याचियों ने उसके मध्यस्थों के रूप में **शालिनी मिश्रा** को भी नियुक्त किया।
4. यह कि माध्यस्थम कार्यवाहियों के लम्बित रहने के दौरान याचीगण को यह जानकारी हुई कि प्रत्यर्थियों के द्वारा नियक्त किया गया मध्यस्थ राजनाथ शर्मा उन अधिवक्ताओं की फर्म में एक भागीदार था जो मध्यस्थ के समक्ष प्रत्यर्थियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
5. यह कि याचियों ने माध्यस्थम के रूप में राजनाथ शर्मा की नियुक्ति को चुनौती देने वाला अधिनियम की धारायें 12 एवम 13 के अधीन एक आवेदनपत्र दाखिल किया और याचियों का कथित आवेदनपत्र अस्वीकृत कर दिया गया।
6. यह कि मध्यस्थों ने प्रत्यर्थियों द्वारा किये गये दावे की रकम का संदाय करने के लिए याची को निर्देश देने वाला एक चाट किया।
7. यह कि 'राजनाथ शर्मा ' यह प्रकट करने में असफल हो गया कि उसका पुत्र माध्यस्थम कायवाहियो में प्रत्यर्थियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं की फर्म में एक भागीदार था।
8. यह कि अधिनियम की धारा 12 के आज्ञापक उपबन्ध भंग किया जा चुका है और मध्यस्थ द्वारा किये गये पंचाट को सम्मिलितकर संपूर्ण कार्यवाहियों को 'राजनाथ शर्मा ' मध्यस्थ द्वारा अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों के अननुपालन के लिए दूषित कर दिया जाता है।

प्रार्थना

अतएव यह अतिसादर पूर्वक प्रार्थना की जाती है कि यह आदरणीय न्यायालय पंचाट दिनांकित .......................... को अपास्त करने की कृपा करें।

याची जरिये अधिवक्ता

स्थान -

तारीख -

**शपथपत्र**

............... न्यायालय

वाद सं..................... सन् २०२१

**अबक**  ........ वादी

बनाम

**कखग**  ......... प्रत्यर्थी

**शपथपत्र**

में ............................................ निवासी ................ निम्नलिखित रूप में एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान एवम घोषणा करता हूँ -

1. यह कि मैं इस मामले में ................. हूँ और अतएव, इस शपथपत्र पर शपथ लेने के लिए सक्षम हूँ।
2. यह कि साथ दिये जा रहे आवेदन पत्र की अन्तर्वस्तुएं सत्य एवम् सही है।

शपथकर्ता

**सत्यापन**

में ...........................................तारीख ................................को यह सत्यापित किया गया कि ऊपर शपथपत्र की अन्तर्वस्तुएं मेरी जानकारी में सत्य एवम् सहीं है।

शपथकर्ता